मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-13.09.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। इसमें अपने विभाग स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है।

2. समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि 11 (ग्यारह) अवमाननावाद का मामला जिलापदाधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं मुख्य सचिव, बिहार ने निदेश दिया है कि 4 (चार) सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ-पत्र दायर की जाय। C.W.J.C. के मामले में मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा साप्ताहिक समीक्षा करने का निदेश दिया गया है।

3. समीक्षा के क्रम में पंचायती राज विभाग में अवमाननावाद के मामले का शीघ्र समाप्त करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दी गयी है। C.W.J.C. के संबंध में सचिव, पंचायती राज द्वारा सूचित किया गया कि अधिक मामला में Proforma Party है। मुख्य सचिव द्वारा Short प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

4. ग्रामीण कार्य विभाग में M.J.C. के पाँच मामलों को शीघ्र समाप्त करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है। C.W.J.C. के मामले में विभाग में लम्बित सभी मामले का निष्पादन हेतु समय-सीमा निर्धारित करते हुए एक माह के अन्दर सभी में शपथ-पत्र दाखिल करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है एवं शपथ-पत्र दाखिल नहीं किये जाने पर कारण पृच्छा की जाएगी।

5. **नगर विकास एवं आवास विभाग :-** M.J.C.-274 एवं C.W.J.C. No.-919 लम्बित है। M.J.C. में Short Showcause File करने एवं C.W.J.C. में एक माह के अन्दर शपथ पत्र दायर करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिया गया है।

6. **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग :-** M.J.C. का 1 (एक) एवं C.W.J.C. के 5 (पाँच) मामले लम्बित है। मुख्य सचिव द्वारा एक माह में निश्चित रूप में शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।

7. **पर्यावरण एवं वन विभाग :-** M.J.C. का 3 (तीन) एवं C.W.J.C. का 58 (अंठावन) लम्बित है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा एक माह के अन्दर शपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।

8. **पथ निर्माण विभाग:-** M.J.C. का 18 (अठारह) एवं C.W.J.C. के 162 (एक सौ बासठ) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा शपथ-पत्र दायर करने में तेजी लाने एवं साप्ताहिक समीक्षा करने एवं इस माह में 40-45 शपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।

9. **भवन निर्माण विभाग:-** M.J.C. का 9 (नौ) एवं C.W.J.C. का 57 (संतावन) लम्बित है। मुख्य सचिव, बिहार, द्वारा सेवांत लाभ संबंधी मामले में M.J.C. होने पर अति शीघ्र कारवाई करने एवं अन्य मामले में शीघ्र कारवाई करने का निदेश दिया गया है। C.W.J.C. के मामले में 15 (पन्द्रह) शपथ पत्र एक सप्ताह में दायर करने का मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया है।

10. **सामान्य प्रशासन विभाग:-** C.W.J.C. में Proforma Party होने पर Short शपथ पत्र दाखिल करने का मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया है।

11. **शिक्षा विभाग :-** M.J.C.- 526 एवं C.W.J.C.-2978 मामला लम्बित है। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि Full Time अधिवक्ता रखने की स्वीकृति विधि विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गयी है। माह अक्टूबर, 2013 तक सभी मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दी जाएगी। माह सितम्बर, 2013 में कम-से-कम 200 मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दी जाएगी। C.W.J.C. में अक्टूबर, 2013 तक 600-700 मामले में शपथ-पत्र दाखिल कर दी जाएगी।

12. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर में शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन

विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7248 जे0 पटना, दिनांक- 01/10/13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/10/13

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7248 जे0 पटना, दिनांक- 01/10/13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/10/13

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।